

8-5-18 पञ्जाबली के राजस्व लोक अदालत अभिमान न्याय
आपके द्वार नं० 18 में फालोअप शिबिर में न्यायलय
दफ्ता में पेश हुई। मूल बंद खारिज हो चुका है।
अब न.उ. प्रा० पञ्जाब उच्च कोर्ट मौजूद नहीं रह
जाया है मूल बंद के परिपेक्ष में न.उ. प्रा० पञ्जा
बी खारिज किया गया इस बाबत सम्बन्धित लोगों
सुनवाई नही सुनारी हो। पञ्जाबली फैसल सुमार
दोकर इन नम्बर से कर हो अदालत न्यायलय दफ्ता
में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
सांभर लेक